न्यायालय लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

(पिठासीन अधिकारीः– मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या 321 / 2018 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक 01 / 06 / 2018
निर्णय दिनांक 16 / 02 / 2021

अनवान

1. लक्ष्मण पिता शंकर जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
2. कैलाश पिता शंकर जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
3. लेहरी बेवा शंकर जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
4. सोसर पति भुरा जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
5. कैलाश मुतबना भुरा जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
6. नन्दा पिता प्रताप जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
7. लक्ष्मण पिता शंकरलाल जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा

प्रार्थी

विरूद्व

1. हीरालाल पिता चुना जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
2. मगना पिता कजोड़ जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
3. चांदी बाई पत्नि देवकिशन जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
4. कालुराम पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
5. हीरालाल पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
6. बंशीलाल पिता भैरूलाल जाति गाडरी निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
7. देउ पिता भैरूलाल जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
8. प्यारीबाई पति भैरूलाल जाति गाडरी निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
9. हीरालाल पिता चुना जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
10. सुन्दर पिता चुना जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
11. देउ पिता चुना जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
12. भैरूलाल पिता मोहनलाल जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
13. सेहनलाल पिता मोहनलाल जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
14. रोशनलाल पिता मोहनलाल जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
15. बालूराम पिता मोहनलाल जाति माली निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
16. शोभालाल पिता चम्पालाल जाति जाट निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा
17. मंगलसिंह पिता लेहरूलाल जाति जाट निवासी गिलुण्ड तह0 रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

18. रतनलाल पिता किशना जाति गाडरी निवासी रगसपुरिया तह0 रेलमगरा
19. नारायणलाल पिता लक्ष्मण जाति गाडरी निवासी रगसपुरिया तह0 रेलमगरा
20. गोपु पिता नारू जाति गाडरी निवासी टिलाखेड़ा तह0 रेलमगरा
21. पन्ना पिता नारू जाति गाडरी निवासी टिलाखेड़ा तह0 रेलमगरा
22. माना पिता किशना जाति गाडरी निवासी टिलाखेड़ा तह0 रेलमगरा
23. भुरा पिता गणो जाति गाडी निवासी टिलाखेड़ा तह0 रेलमगरा
24. भैरी पिता जीतु जाति गाडरी निवासी टिलाखेड़ा तह0 रेलमगरा
25. मंगु पिता कालू जाति गाडरी निवासी टिलाखेड़ा तह0 रेलमगरा
26. चम्पालाल पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी टिलाखेड़ा तह0 रेलमगरा
27. देवीलाल पिता हीरालाल जाति गाडरी निवासी टिलाखेड़ा तह0 रेलमगरा
28. कमला पिता सोहनलाल जाति गाडरी निवासी टिलाखेड़ा तह0 रेलमगरा
29. सहायक अभियंता सिंचाई निर्माण उपखण्ड मातृकुण्डिया तह0 रेलमगरा
30. गिरधारी पिता नाथु जाति जाट निवासी खुमाखेड़ा तह0 रेलमगरा
31. किशनलाल पिता माधुलाल जाति जाट निवासी खुमाखेड़ा तह0 रेलमगरा
32. कैलाश पिता माधुलाल जाति जाट निवासी खुमाखेड़ा तह0 रेलमगरा
33. जमना पत्नि माधुलाल जाति जाट निवासी खुमाखेड़ा तह0 रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा की सरहद में स्थित आ.स. 1860, 1864, 1865, 1869, 1873, 1874, 1875, 1876, 4770/1858, 4931/1859 कुल किता 10 रकबा 36–00 बीघा स्थित है उक्त आराजीयात के चारो ही दिशाओं में विपक्षीगण की आ.स. 1870, 1871, 1896, 1895, 1854, 1857, 1867, 1868, 1863, 1862, 1861, 1856, 1903 व 1904 स्थित है। प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी व विपक्षीगण की आराजीयात् के बीच किसी भी प्रकार का कोई स्थाई सीमांकन चिन्ह स्थाई रूप से अंकित नहीं है न ही मौके पर विद्यमान है। जिससे प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है जिससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी व विपक्षीगण की आराजीयात् के बीच स्थाई रूप से सीमांकन के रूप में पत्थरगड्डी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में कभी सीमा संबंधित विवाद नहीं हो। इस बाबत् प्रार्थीगण के लिए यह प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इस बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण की आ.स. 1860, 1864, 1865, 1869, 1873, 1874, 1875, 1876, 4770/1858, 4931/1859 व विपक्षीगण की आ.स. 1870, 1871, 1896, 1895, 1854, 1857, 1867, 1868, 1863, 1862, 1861, 1856, 1903 व 1904 के बीच

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

किसी प्रकार के स्थाई सीमाचिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते है जिस बाबत् प्रार्थी ने सीमा संबंधित जानकारी हेतु प्रार्थना पपत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 17/12/2015 को भू अभिलेख निरिक्षक व पटवारी हल्का कारोलिया द्वारा मौके पर आकर सीमा जानकारी हेतु आये व मौके पर सीमा जानकारी कारवाई गई मगर विपक्षीगण सीमा जानकारी को मानने के लिये तैयार नहीं होकर मौके पर विवाद व लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो रहे है। इसलिये विवश होकर उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का हेतु जब प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को पत्थरगड़्डी कराने के लिए कहा और विपक्षी ने टालमटोल का जवाब दिया व अन्त में दिनांक 01/01/2016 को विपक्षीगण ने मना किया तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। खातेदार ज्ञानी पति चुना, सणगारी पिता कालु, चुना पिता कजोड़, देवकिशन पिता वगता, सोहन–भैरू पिता रूपा, कसनी बेवा प्रताप का देहान्त हो चुका है मगर रेकार्ड में इनके वारिसों के नाम पर अन्तकाल फेसल नहीं किया गया है उक्त प्रार्थना पत्र में इनके वारिसों को पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की आ.स. 1860, 1864, 1865, 1869, 1873, 1874, 1875, 1876, 4770/1858, 4931/1859 व विपक्षीगण की आ.स. 1870, 1871, 1896, 1895, 1854, 1857, 1867, 1868, 1863, 1862, 1861, 1856, 1903 व 1904 की सीमा के बीच पत्थर गड्डी कराने का आदेश तहसीलदार साहब रेलमगरा के नाम पर फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब प्रस्तुत नहीं कर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगड्डी किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गयी। अधिवक्ता की बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड में स्थित प्रार्थीगण की आ.स. 1860, 1864, 1865, 1869, 1873, 1874, 1875, 1876, 4770/1858, 4931/1859 व विपक्षीगण की आ.स. 1870, 1871, 1896, 1895, 1854, 1857, 1867, 1868, 1863, 1862, 1861, 1856, 1903 व 1904 के बीच सीमा के मध्य पत्थर गडडी किये हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगडडी की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा